

प्रारूप-50


परियोजना विवरण :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेथा-गवाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.500 किमी)।

एनोपी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एनोपी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी _____ १८
2. हरियाली का घनत्व _____ ०.१०
3. एनोपी०वी० की दर प्रति हेतु _____ ४३४०७०/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल _____ ०.२७९५
5. कुल देय एनोपी०वी० की धनराशि _____ १२२४२.००


कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


अधिकारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


वन क्षेत्रप्रबन्धिकारी
माणिकबाथ रेज
डांगचौरा


उप प्रभागीय वनाधिकारी
(संभागी)
लरेन्टनगर वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
पनि-को-रेती


प्रारूप—51

परियोजना विवरण :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेथा—ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.500 किमी)।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वी० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वी० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


अधिकारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वी० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।

प्रारूप-52

परियोजना विवरण :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेथा-ग्वाङुटोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.500 कि०मी०)।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

Ashu
कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख० ल००नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।

सहायक *H* अभियन्ता
अ०ख० ल००नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।

D
अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० ल००नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।